पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष-011-22914799, 9868711893, 9414040403

E-mail: abrsmdelhi@rediffmail.com, shaikshikmanthan@gmail.com, www.abrsm.in

पत्रांक : **दिनांक :**

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में सम्पन्न

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 29 व 30 अगस्त 2009 को हैदराबाद में सम्पन्न हुई। 31 अगस्त को हैदराबाद में ही महासंघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक प्राथमिक संवर्ग सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों, सम्बद्ध शैक्षिक संगठनों के अध्यक्ष, सचिवों, संगठनमंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में देहरादून में सम्पन्न गत बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया तथा गत समाप्त वर्ष के अंकेक्षित खातों को स्वीकार किया गया। बैठक में महिला संवर्ग सचिव के रूप में श्रीमती प्रियंवदा सक्सैना का मनोनयन किया गया।

राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर ने आगामी अक्टूबर माह में जयपुर में सम्पन्न होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों की जानकारी प्रदान की। राष्ट्रीय अधिवेशन में जिला स्तर तक के छः पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना की समीक्षा की गई तथा प्रतिनिधियों के आग्रह पर तय किया गया कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की सिण्डीकेट/बोर्ड ऑफ मैनेजमैंट में निर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय अधिवेशन में आमंत्रित किया जाय। सच्चर समिति की अनुशंसाओं के प्रति समाज को सावचेत करने हेतु राष्ट्रीय अभियान राष्ट्रीय अधिवेशन के पश्चात् चलाने के निर्णय की पुष्टि की गई। इसी संदर्भ में उच्च शिक्षा संवर्ग के श्री महेन्द्र कुमार ने सच्चर समिति की अनुशंसाओं, इन पर सरकार के निर्णयों व प्रभावों से प्रतिनिधियों को अवगत कराया।

कार्यकारिणी की बैठक के अवसर पर उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा संवर्ग की बैठकें भी सम्पन्न हुई। उच्च शिक्षा संवर्ग की बैठक में नये वेतनमान लागू करने पर राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा में इन वेतनमानों को लागू करने में राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जा रहे विलम्बकारी व्यवहार पर चिन्ता व्यक्त की गई। वेतनमान समिति द्वारा एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत शिफारिशों पर अभी तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा सहित कुछ ही राज्यों में लागू किया गया। अन्य राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी अनेक राज्यों ने दी। राजस्थान सरकार एक समिति गठित कर इन पर निर्णय लेने में विलम्ब कर रही है। समीक्षा के उपरान्त तय किया गया कि इन्हें लागू कराने के लिये प्रान्तीय संगठन प्रयासों में तीव्रता लाये। अ.भा. संगठन भी केन्द्र व यूजीसी व राज्य सरकारों से सम्पर्क कर इनमें तेजी लाने के प्रयास करेगा। माध्यमिक शिक्षा संवर्ग की बैठक में प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि छठे वेतनमानों को लगभग सभी राज्यों में लागू किया जा चुका है। मात्र राजस्थान राज्य ही ऐसा राज्य है जहाँ वेतनमान 1 जनवरी 2006 के स्थान पर 1 सितम्बर 2006 से प्रभावी बनाये हैं। परन्तु राज्य सरकार ने गत वर्ष 60 प्रतिशत तथा इस वर्ष शेष 40 प्रतिशत बकाया के भुगतान के आदेश जारी कर दिये हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों में कम वेतनमानों की विसंगतियों पर भी विचार किया गया। प्राथमिक संवर्ग की बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों के विस्तार की योजना पर विचार किया गया। बाद में इन संवर्गों की बैठकों का प्रतिवेदन सम्पूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन समारोह में स्थानीय भाजपा विधायक श्री कृष्ण रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिनिधियों को संबोधित किया। संगठन के महामंत्री डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने बैठक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुये कहा कि महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं को संगठन को मूलध्येय वाक्य के अनुरूप आचरण कर संगठन को सुदृढ़ बनाना चाहिये। श्री अग्रवाल ने राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आह्वान किया। महासंघ के अतिरिक्त महामंत्री डॉ. विनोद बनर्जी ने अतिथियों, प्रतिनिधियों एवं आन्ध्र प्रदेश उपाध्याय संगम के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री युगान्धर रेड्डी ने बैठक की अच्छी व्यवस्था में योग के लिये सभी स्थानीय सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष-011-22914799, 9868711893, 9414040403

E-mail: abrsmdelhi@rediffmail.com, shaikshikmanthan@gmail.com, www.abrsm.in

पत्रांक : दिनांक :

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

29-30 अगस्त 09 राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हैदराबाद (आ.प्र.) में पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव-1

यशपाल समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाय

देश में उच्च शिक्षा के विकास एवं विस्तार की दृष्टि से प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में गठित उच्च शिक्षा के पुनर्जीवन व पुनर्शक्तीकरण हेतु गठित समिति की अनुशंषाओं पर अ.भा.राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गहन विचार किया है। महासंघ उच्च शिक्षा के सर्वदिशायी प्रचार व प्रसार हेतु समिति द्वारा सुझाये गये उपायों को लागू करने का आग्रह करता है।

ज्ञान आधारित समाज के सृजन तथा निकट भविष्य में ही विश्व में युवा जनशक्ति के पूर्ण उपयोग हेतु देश में नये विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी व प्रबंध संस्थानों, व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों का व्यापक संजाल अपेक्षित है, परन्तु उच्च शिक्षा के विस्तार में राज्य, निजी क्षेत्र व विदेशी तकनीकी ज्ञान के के लिये विदेशी विश्वविद्यालयों के रूप में विदेशी पूँजी का उपयोग करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा में राज्य, निजी प्रारंभण व विदेशी पूंजी के उपयोग में संवैधानिक रूप से स्वायत्त व्यवस्था का सृजन लाभकारी हो सकता है। संवैधानिक स्वायत्त शिक्षा व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की गुंजाइश को नियंत्रित किया जा सकता है, निजी क्षेत्र के लाभ व बाजार व्यवस्था पर आधारित उच्च शिक्षा का नियमन कर स्वस्थ्य विकास को प्रेरित किया जा सकता है तथा विदेशी पूँजी को देश के लिये लाभदायक क्षेत्र नया भारत की आवश्यकताओं की शर्त पर किया जा सकता है। एतदर्थ यशपाल समिति द्वारा उच्च शिक्षा, शोध व अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय आयोग के गठन पर गंभीरता पूर्वक विचार आवश्यक है। यशपाल समिति तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के सुझाव पर विस्तृत एवं गहन चर्चा व विचार अपेक्षित है।

देश में उच्च शिक्षा के पाठयक्रमों को आद्यतन बनाने का तंत्र विकसित किया जाना भी आवश्यक है, परन्तु स्थानीय संसाधनों, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के उपयोग हेतु आवश्यक प्रयोग स्वातंत्र्य भी आवश्यक है। देश में विश्वविद्यालयों व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के पर्यवेक्षण, निरीक्षण व्यवस्था (Acreditation and grading System) विकसित करना भी अभीष्ट होना चाहिये। देश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को भी उदार बनाना अपेक्षित है। व्यावसायिक (Vocational) से अकादमिक व व्यावसायिक शिक्षा से अकादमिक शिक्षा की व्यवस्था उदार बनायी जानी चाहिये। सतत् शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिये? सभी विशिष्ट संस्थानों (IIT's, IIIT's, IIM's, IIS &T व अन्य) को विश्वविद्यालयों के रूप में बदलने पर भी गहन विचार अपेक्षित है। 'शोध व अनुसंधान' उच्च शिक्षा व आर्थिक क्षेत्र के विस्तार हेतु अनिवार्य है? भारत में 'शोध क्षेत्र' में व्यापक परिवर्तन अपेक्षित है। इनमें प्रमुख सभी शोध संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की शोध व्यवस्था को एकीकृत व्यवस्था की रचना समय की आवश्यकता है। कृषि, उद्योग, व्यापार व शोध व्यवस्था के बीच निकट तालमेल द्वारा सैद्धान्तिक अनुसंधान व शोध के साथ व्यावहारिक व समस्याओं से संबंधित शोध व अनुसंधान देश को आगे ले जाने में समर्थ होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सुविचारित मत है कि उपरोक्त व्यवस्थाओं के साथ समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाय।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष-011-22914799, 9868711893, 9414040403

E-mail: abrsmdelhi@rediffmail.com, shaikshikmanthan@gmail.com, www.abrsm.in

पत्रांक : दिनांक :

प्रस्ताव-2

बच्चों के निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक

देश के 63 वें स्वतंत्रता दिवस के कुछ पूर्व संसद द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार विधेयक को पारित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। देश की मानव शक्ति को विशाल उपयोगी मानवीय संसाधनों में बदलने व ज्ञान आधारित समाज के निर्माण व नव रचनात्मक सामाजिक परिवर्तनों को प्रेरित करने में यह अधिकार एक मुख्य अस्त्र सिद्ध हो सकता है।

विधेयक पारित करना राष्ट्र के संकल्प को व्यक्त करता है। इसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने में भारी सैद्धान्तिक व व्यावहारिक कठिनाईयों से गुजरना होगा व प्रयास करना होगा कि इस विधेयक के अधिनियम का रूप लेने पर इसका हश्र रोजगार के अधिकार व बालश्रम अधिनियम जैसा नहीं हो। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक विशाल आर्थिक संसाधनों को केन्द्र व राज्य सरकारों को जुटाना होगा। निजी संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा किया जाना चाहिये, परन्तु यह बाजारवादी व्यवस्था में परिणित न हो के लिये पर्याप्त सावधानी आवश्यक है। देश में इस अधिकार को लागू करने हेतु विशाल संख्या में विद्यालयों की व्यवस्था करनी होगी। जनसंख्या सघन क्षेत्रों में कठिनाई नहीं होगी परन्तु दूरस्थ व कम जनसंख्या वाले स्थानों पर शिक्षण सुविधा प्रदान करने की कठिनाई का हल निकालना होगा। इन विद्यालयों की संचालन व्यवस्था में अभिनव प्रयोग आवश्यक हैं। विशाल विद्यालय व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करना भी टेड़ी खीर है। यद्यपि विधेयक में प्रावधान है कि विद्यालय के लिये संसाधन तीन वर्ष तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित करना पाँच वर्ष में आवश्यक होगा। इस पर राज्य शिक्षा निरीक्षण व मान्यता अधिकारी नजर रखेगा। विधेयक में पड़ौस के स्कूल की धारणा को अपनाते हुये व्यवस्था की गई है, कि सभी संपन्न विकसित एवं पब्लिक व निजी स्कूलों को कुल प्रवेश स्थानों का 25 प्रतिशत निर्धन व उपेक्षित वर्ग के बच्चों के लिये आरक्षित करने होंगे। इनकी फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जायेगा। परन्तु यह पड़ौस के स्कूल की धारणा को पूरा नहीं करती हैं। इससे शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी पूरा होना संभव नहीं है। यह विधेयक शिक्षा के प्रति व्यापक व समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता है। इसे उच्च प्राथमिक, सैकेण्डरी, उच्च सैकेण्डरी, वोकेशनल, तकनीकी, व्यावसायिक व सामान्य उच्च शिक्षा से संबंधित करने की व्यवस्था (Roadmap) का अभाव है। यह विधेयक 3-6 वर्ष की आयु बच्चों की शिक्षा के प्रति उपेक्षा भाव दिखाता है। जबकि आज शिक्षा केजी से पीजी के रूप में देखी जाती है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिये एकीकृत व्यवस्था आवश्यक है। मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान स्वागत योग्य है।

अ.भा. राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी विधेयक का स्वागत करती है तथा आग्रह करती है कि पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त सैधान्तिक व व्यावहारिक कठिनाईयों का निवारण करते हुये इसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करे।